भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 380
दिनांक 04.02.2020/15 माघ,1941 (शक) को उत्तर के लिए

नजरबन्दी केन्द्र

† 380. श्री अरविंद सावंतः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री उत्तम कुमार रेड्डीः
श्रीमती माला रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदर्श नजरबन्दी केन्द्र नियमावली जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने नजरबन्दी केन्द्र कार्यशील है और कितने नजरबन्दी केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है;

(घ) इन केन्द्रों में वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है और कार्यशील और निर्माणाधीन नजरबन्दी केन्द्रों की क्षमता कितनी है;

(ङ) क्या सरकार को सीएए और एनआरसी के कार्यान्वयन के पश्चात नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि का अनुमान है;

(च) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्यों में नजरबन्दी केन्द्र स्थापित करने को कहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): "कॉलेबोरेटिब नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग", गुवाहाटी द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) सं.406/2013 के अंतर्गत आई.ए. सं.105821/2018 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के

दिनांक 12.09.2018 और 20.09.2018 के आदेशों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श करके डिटेंशन सेंटर/होल्डिंग सेंटर/कैंप पर एक आदर्श मैनुअल तैयार किया था और इसे कार्यान्वयन हेतु दिनांक 09.01.2019 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। इस आदर्श मैनुअल में एक विदेशी राष्ट्रिक को निरुद्ध करने (डिटेंशन) और उसे निर्वासित करने से संबंधित विधिक प्रावधान, गृह मंत्रालय द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, निरुद्ध (डिटेन) किए जाने वाले व्यक्तियों की श्रेणियां और डिटेंशन सेंटर/होल्डिंग सेंटर/कैंपों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

(ग) से (छ): वर्ष 2005 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 310 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 28.02.2012 के आदेश के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने माननीय न्यायालय के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन किए जाने हेतु दिनांक 07.03.2012 को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार डिटेंशन सेंटर उन अवैध आप्रवासियों/विदेशी राष्ट्रिकों को अपने मूल राष्ट्र में निर्वासन होने तक निरुद्ध (डिटेन) करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिन्होंने सजा पूरी कर ली है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित डिटेंशन सेंटरों की संख्या के साथ-साथ उनकी क्षमता और इन डिटेंशन सेंटरों में निरुद्ध (डिटेन) किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या के ब्यौरे केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते है।

******